

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 4376/2022

बबिता

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, तिलक मार्ग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर जिला सीकर।
4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ब्लॉक फतेहपुर, जिला सीकर।
5. सुनिता एएनएम, उपकेन्द्र, गांगियासर, सीकर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.09.2022

आदेश की दिनांक : 27.10.2022

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :- अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)

एम. एस. काला, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि अपीलार्थी दिनांक 12.07.2018 से सब सेंटर, गांगियासर, सीकर में पदस्थापित है। अपीलार्थी का वर्तमान स्थान से आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक-1) के अनुसार पीएचसी, लूणवा, नागौर अधिशेष बताते हुए लगभग 500 किमी दूर किया गया है। अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 12.07.2018 (अनुलग्नक-3) के अनुसार अनुसूईया के स्थान पर वर्तमान पदस्थापन स्थान पर रिक्त पद के विरुद्ध कार्यभार ग्रहण किया था। अतः अपीलार्थी अधिशेष न होकर रिक्त पद के विरुद्ध कार्य कर रही थी। अनुसूईया को इस अधिकरण द्वारा स्थानांतरण के विरुद्ध स्थगन प्राप्त हो जाने के कारण अपीलार्थी को अधिशेष घोषित कर उसका आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा स्थानांतरण कर दिया गया। निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 का सब सेंटर गांगियासर दिनांक 18.07.2022 को स्थानांतरण किया गया और उक्त आदेशों की पालना में उसको समंजित करने के लिए उसे

इस सेंटर पर कार्यभार ग्रहण करवा लिया गया। पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपीलार्थी पर ही है। आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक-1) में अपीलार्थी को स्थानांतरण पर टीए डीए दिए जाने का भी उल्लेख नहीं किया गया है। राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रिया कलाप) नियम, 2011 के नियम-8(3) के अनुसार अपीलार्थी के अंतरित कर्मचारी होने के कारण पंचायत राज विभाग से स्वीकृति भी आलोच्य आदेश जारी करने से पूर्व प्राप्त नहीं की गई है। अतः हस्तगत अपील के माध्यम से विवादित आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक-1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त कर उसकी अपील स्वीकार की जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनु गीलन कर मनन किया।
4. हमारे विनम्र मत में स्थानांतरण राजकीय सेवक की सेवा का अभिन्न अंग है। अपीलार्थी वर्ष 2013 से अर्थात् लगभग 9 वर्ष से अधिक की अवधि से वर्तमान स्थान पर पदस्थापित है। निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को अपील के पैरा संख्या 3 में वर्णितानुसार दिनांक 18.07.2022 को प्रत्यर्थी विभाग के आदेशों की पालना में सब सेंटर गांगियासर, सीकर में कार्यभार ग्रहण किया गया था और अपीलार्थी का स्थानांतरण आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक-1), जो डेढ माह पश्चात् जारी किया गया है। अतः इससे स्पष्ट है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को समंजित करने के उद्देश्य से अपीलार्थी का स्थानांतरण नहीं किया गया है। अपीलार्थी के प्रकरण से यह पुष्टि नहीं होती है कि वह वर्तमान पदस्थापन स्थान पर अधिशेष नहीं है।
5. अपील के इस प्रकरण में अपीलार्थी का मुख्य आक्षेप है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायती राज विभाग की सहमति के बिना किया गया है। प्रकरण से संबंधित रिकार्ड तथ्यों एवं संबंधित आदेशों/निर्देशों की स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान में राजस्थान सरकार मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक:प. 11(1) मं.मं./2008 दिनांक 22.11.2021 के द्वारा राज्य सरकार ने विभागों का वितरण करते हुए प्रत्येक मंत्री को उसके नाम के सम्मुख अंकित विभागों का कार्यभार सौंपा है, जिसमें पंचायती राज के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का स्वतंत्र प्रभार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को ही सौंपा गया है। राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम -8(III) के अनुसार स्वीकृति/सहमति पंचायती राज विभाग से ली जाती होती है, इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 8828 / 2022 रविन्द्र

कुमार टेलर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.09.2022 में यह माना गया है कि

“as the Division Bench has approved the transfers, on account of consent granted by the Minister for Medical and Health Services, Government of Rajasthan, who has been given independent charge of Medical and Health Services under the Panchayati Raj Department, which has been held as sufficient, the same would suffice.” “Further, the said consent can only suffice in cases of inter-district transfers in terms of Rules 8 [iii] of the Rules of 2011, which requires consent of the Panchayati Raj Department for effecting inter district transfers.”

6. इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 10769/2022 हीरालाल ताबीयार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.09.2022 में यह माना गया है कि

“That the respondents are under obligation to comply with the provisions of Rule 8[iii] of the Rules of 2011 and are required to specifically seek approval of the concerned minister, even if the minister is same for both the Departments

7. इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 284/2022 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम रेखा कुमारी में पारित आदेश दिनांक 17.8.2022 में राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(III) की पालना हेतु राज्य सरकार के विभाग द्वारा की गई कार्यवाही को पर्याप्त माना जाकर राज्य सरकार की अपील स्वीकार की गई है। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 8828/2022 रविन्द्र कुमार टेलर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एसबी सिविल रिट पीटिशन संख्या 10796/2022 तथा डीबी स्पेशल अपील रिट संख्या 284/2022 में पारित आदेशों में यह माना गया है कि राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(III) की पालना हेतु पंचायती राज के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री (Minister) का अनुमोदन होना आवश्यक है। इस प्रकार एक जिले से दूसरे जिले में किए जाने वाले स्थानान्तरणों के लिए अनुमोदन हेतु सक्षम स्तर पंचायती राज के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री (Minister) है। यह उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डीबी स्पेशल अपील रिट संख्या 284/2022 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम रेखा कुमारी में यह निर्णय नहीं किया गया है कि प्रत्येक आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में यह अनिवार्य (Mandatory) रूप से लिखा ही जावे कि पंचायतीराज के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (स्वतंत्र

प्रभार) मंत्री (Minister) से अनुमोदन प्राप्त करने के संबंध में प्रत्येक स्थानान्तरण आदेश में उल्लेख किए जाने के निर्देश नहीं है, वरन् उक्तानुसार मंत्री (उपदपेजमत) का अनुमोदन होना पर्याप्त माना है। आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। अपीलार्थी द्वारा भी ऐसा कोई रिकार्ड साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि आलोच्य आदेश के संबंध में पंचायती राज के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री (Minister) से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है। जब पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का स्वतंत्र प्रभार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के पास ही है, ऐसी स्थिति में उपर्युक्त समस्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टता राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8 (III) के उल्लंघन की स्थिति प्रतीत नहीं होती है। अतः आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक-1) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जनहित में जारी किया गया है, उसमें किसी प्रकार की दुर्भावना एवं विधि त्रुटि होना प्रकट नहीं है।

8. उक्त विवेचनानुसार हस्तगत अपील के सारहीन एवं बलहीन होने के कारण, इसे खारिज किए जाने योग्य है, जिसे ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

(एम. एस. काला)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)